[राज्य सभा में 11 जुलाई, 2014
को पुर:स्थापित रूप में]

2013 का विधेयक संख्यांक 20

बाल-विवाह प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 2013

बाल-विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 का संशोधन
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (*1*) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम बाल-विवाह प्रतिषेध (संशोधन) अधिनियम, 2013 है।

(*2*) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

धारा 2 का संशोधन।

2. बाल-विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 (इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में उल्लिखित) में, धारा 2 के खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,— 2007 का 6

''(क) बालक से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने, यदि पुरुष है तो, अठारह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है और यदि नारी है तो, पन्द्रह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है।

धारा 3 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 3 में, उप-धारा (*1*) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्,— 5

बालिका के विकल्प पर बाल-विवाह का विधिमान्य होना।

''3. (*1*) प्रत्येक बाल-विवाह, जो चाहे इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व या पश्चात् अनुष्ठापित किया गया हो, विधिमान्य होगा:

परन्तु यह कि किसी बाल-विवाह को बातिल करने के लिए महिला द्वारा, जो विवाह के समय बालक थी, जिला न्यायालय में याचिका दायर की जा सकेगी।'' 10

उद्देश्यों और कारणों का कथन

बाल-विवाह अथवा अठारह वर्ष से कम आयु की बालिकाओं का विवाह भारत में बेहद प्रचलित है। संयुक्त राष्ट्र संघ बाल कोष (यूनिसेफ) की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में सैंतालीस प्रतिशत महिलाओं का विवाह अठारह वर्ष की आयु से पहले ही कर दिया जाता है और भारत में लगभग चालीस प्रतिशत बाल-विवाह होते हैं। यह भी एक सच्चाई है कि पश्चिमी देशों की तुलना में मुस्लिम बहुसंख्या वाले अधिकांश देशों में महिलाओं के लिए विवाह की कानूनी आयु पन्द्रह से लेकर सत्रह वर्ष तक है। लड़कों के लिए यह आयु या तो इतनी ही है या इससे थोड़ी अधिक है। भारत में भी लड़कियों के लिए विवाह की कानूनी आयु सीमा अठारह वर्ष निर्धारित की गई है और अनेक अन्य देशों में भी यही स्थिति है। ग्रामीण क्षेत्रों में कानून लागू करना मुश्किल होता है जहां ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक प्राय: कानूनी प्रतिबंधों पर भारी पड़ते हैं। समुदाय, चाहे वे किसी भी धर्म से जुड़े हों, यह समझते हैं कि बाल-विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के लागू हो जाने से भारत में बहुत बड़ी संख्या में विवाह अमान्य घोषित किए जाने योग्य ठहरते हैं और महिलाओं के जीवन पर इसके स्वाभाविक परिणाम होंगे जिनमें सम्पत्ति के उत्तराधिकार से लेकर परिवारों और बच्चों का भरण-पोषण शामिल है।

इस्लाम में, किसी विवाह के विधिमान्य होने के लिए बौद्धिक और शारीरिक परिपक्वता और महिला की विश्वसनीय अनुमति पूर्वापेक्षाएं हैं। मुस्लिम स्वीय विधि (शरीयत) अधिनियम, 1937 की धारा 2 में उपबंध किया गया है कि 'विवाह' से संबंधित सभी प्रश्नों में, मुस्लिम पक्षकारों के मामले में विनिश्चय का नियम मुस्लिम स्वीय विधि (शरीयत) होगा। लड़कियों के लिए विवाह की आयु अठारह वर्ष से कम किया जाना मुस्लिम स्वीय विधि के भी अनुरूप ही होगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी पन्द्रह वर्ष की आयु में विवाह करने के मुस्लिम लड़की के अधिकार को मुस्लिम विधि के आधार पर मान्य ठहराया है। इसलिए, मुस्लिम स्वीय विधि या शरीयत तथा दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए बाल-विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 का संशोधन किए जाने की आवश्यकता है।

अत: यह विधेयक प्रस्तुत है।

मोहम्मद अदीब

अनुबंध

बाल-विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 (2007 का 6) से उद्धरण

* * * *

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''बालक'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने, यदि पुरुष है तो, इक्कीस वर्ष की आयु पूरी नहीं की है और यदि नारी है तो, अठारह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है;

* * * *

बाल-विवाहों का, बंधन में आने वाले पक्षकार के, जो बालक हैं, विकल्प पर शून्यकरणीय होना।

3. (1) प्रत्येक बाल-विवाह, जो चाहे इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व या पश्चात् अनुष्ठापित किया गया हो, विवाह बंधन में आने वाले ऐसे पक्षकार के, जो विवाह के समय बालक था, विकल्प पर शून्यकरणीय होगा:

परंतु किसी बाल-विवाह को अकृतता की डिक्री द्वारा बातिल करने के लिए, विवाह बंधन में आने वाले ऐसे पक्षकार द्वारा ही, जो विवाह के समय बालक था, जिला न्यायालय में अर्जी फाइल की जा सकेगी।

* * * *

राज्य सभा

बाल-विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 का संशोधन
करने के लिए
विधेयक

(श्री मोहम्मद अदीब, संसद सदस्य)

GMGIPMRND—1068RS—11.07.2014.